न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :–एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :– 14/2018 **(Rcms no. 2018/00022)**

उनवानी प्रकरण :–

1. अशोक पुत्र बैजनाथ जाति ब्राहमण निवाससी गॉव बौरेली तहसील बसेडी
2. सतीश पुत्र बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासी गॉव बौरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर ——————————————————————अपीलान्टस्।

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर ———— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.2.2018
तहसीलदार बसेडी प्र. स. 365/2018
उनवानी राज0 सरकार बनाम अशोक वगैरा
अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय दिनांक :–05.06.2018

निर्णय

अपीलान्टस् द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 12.2.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं, कि खसरा नम्बर 164/150 रकवा 0.75 हैक्टेयर स्थित ग्राम छार बौरेली तहसील बसेडी के बावत् पटवारी हल्का बौरेली ने यह रिपोर्ट की है कि अपीलान्टस् ने उपरोक्त भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिकमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर तीन माह साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया है। आक्षेपित आदेश दिनांक 12.2.2018 illegal perverse arbitrary है और विधि के तमाम प्रावधानों प्रकियाओं का दुरूपयोग पात्र है। धारा 91 एल. आर. एक्ट की कार्यवाईयॉ न्यायिक कार्यवाहियॉ है जिसमें कारावास की सजा देने से पूर्व तहसीलदार बसेडी ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नही किया और अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व उन्होनें ना तो आदेश को पढा और Routine में आदेश पारित किया। उक्त अधिनियम के तहत जब किसी व्यक्ति को पश्चात्वर्ती अतिकमण के लिये आरोपित किया जा रहा है वहॉ पक्षकारो को संयुक्त नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। संयुक्त नोटिस कानून के विपरीत है। और संयुक्त

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

नोटिस के आधार पर की गई कार्यवाही अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में एक जगह यह लिखा है कि अप्रार्थीयान नोटिस की विधिवत तामील के उपरान्त स्वंय उपस्थित आये और आगे यह लिखा है कि उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। अधीनस्थ न्यायालीय को स्वंय यह ज्ञान नही है कि यदि कोई पक्षकार हाजिर है तो यह आज्ञापक प्रावधान है कि उसे जबाव देने का अवसर प्रदान किया जावेगा। किसी पक्षकार के हाजिर होने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 12.2.2018 में यह अंकित है कि विधिवत नोटिस की तामील के पश्चात् भी अप्रार्थीयान उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिये गये है वह विरोधाभासी है। अपीलान्टस् पर किसी नोटिस की विधिवत कोई तामील नहीं कराई गई जो जॉइन्ट नोटिस जारी करना बताया गया है ऐसे नोटिस के बिना पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। अपीलान्टस् को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी पुलिस के जरिये हुई। अतः अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.2.2018 की प्रमाणित प्रति, नोटिस प्रारूप –3 की फोटो प्रति, आर्डरशीट दिनांक 15.1.2018 एवं 12.2.2018 की फोटो प्रति, रसीद कमांकः 0000017 दिनांक 14.2.18 की फोटो प्रति, पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अकिंत तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर अपीलान्टस् को पश्चात्वर्ती अतिकमी माना है जो नियम विरूद्ध है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज उपलब्ध नही है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्टस् विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस् को संयुक्त नोटिस जारी कर तलव किया गया है जो नियम विरूद्ध है धारा 91 की कार्यवाही एक न्यायिक प्रकिया है जिसमें सजा का प्रावधान है ऐसी स्थिति में अतिकमी को पृथक पृथक नोटिस जारी कर तलव किया जाना आवश्यक है। संयुक्त नोटिस के आधार पर की गई कार्यवाही अवैधानिक है। इस सम्बन्ध में आर.आर.डी. 1986 पेज संख्या 544 की नजीर पेश की Raj. Land Revenue Act sec. 91(3A)- Notice- Principles of natural justice joint notice, Issued by against 4 trespassers held bad in law even though served personelly on 2 of them sec. 91(3A) incorprate rule of audi alteram

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

partem in so many words- Unhealthy practice in subordinate R.Cs of issuing joint notice against several persons and service, effected on one or two persons- joint Notice in name of several defts, bad in law and unwarranted, as held in 1974 RRD 456- Order of RAA set aside and case, remanded to tech. आक्षेपित आदेश दिनांक 12.2.2018 illegal perverse arbitrary है और विधि के तमाम प्रावधानो प्रकियाओं का दुरूपयोग मात्र है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में एक जगह यह लिखा है कि अप्रार्थीयान नोटिस की विधिवत तामीली के उपरान्त स्वंय उपस्थित आये और आगे यह लिखा है कि उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को स्वंय यह ज्ञान नही है कि यदि कोई पक्षकार हाजिर है तो यह आज्ञापक प्रावधान है कि उसे जबाव देने का अवसर प्रदान किया जावेगा। किसी पक्षकार के हाजिर होने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 12.2.2018 में यह अंकित है कि विधिवत नोटिस की तामील के पश्चात् भी अप्रार्थीयान उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिये गये है वह विरोधाभासी है। अपीलान्टस् ने इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि वह भविष्य में विवादित आराजी कब्जा नहीं करेगे। अपीलान्टस् को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी पुलिस के जरिये हुई। अतः अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.02.2018 निरस्त किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से होती है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्टस् पर विधिवत नहीं हुई है । नोटिस प्राप्ति पर अपीलान्ट अशोक के स्वंय के हस्ताक्षर है। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्टस् को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है सिद्ध नहीं होता अपीलान्टस् बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुये। अतः अपील अपीलान्टस् खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 यथावत रखा जावे ।

दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि:–

1- यह तथ्य सही कि है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी

(नन्दलाल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से होती है। अपीलान्ट को पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका है। इस तथ्य की पुष्टि अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से होती है जिसमें उन्होनें लिखा है कि वह भविष्य में कब्जा नही करेगें ।

2- अपीलान्टस् के विद्धान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् को संयुक्त नोटिस जारी किया गया है वह गैर कानूनी है। इस सम्बन्ध में विद्धान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीर चस्पा होती है।

3- अपीलान्टस् के विद्धान अभिभाषक का यह कथन भी सत्य है कि अपीलान्टस् को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है क्योंकि अपीलान्टस् पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील विधिवत नही हुई है ।

4- पटवारी हल्का के बयान प्रफोर्मा पर लिये गये हैं जो न्याय संगत नही है। जो प्रभावहीन हो जाते है।

5- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय में पैरा नम्बर 2 में अंकित किया है कि अप्रार्थीयान नोटिस की विधिवत तामील के उपरान्त स्वंय उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। जबकि आर्डरशीट दिनांक 12.02.2018 में यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थीयान नोटिस की विधिवत तामील के उपरान्त भी उपस्थित नही आये। इस प्रकार निर्णय में विरोधाभास है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 6.9.2017 त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाना एवं अपील स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 अपास्त किया जाता है। तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार बसेडी को प्रति प्रेषित की जाती है कि वह अपीलान्टस् को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

(एन. एम. पहाड़िया)
जिला कलक्टर, धौलपुर

नन्दमल पहाड़िया
जिला कलक्टर
धौलपुर